सं.1(3)/2023-ई.II(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 27 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः डीएफपीआर के नियम 10 के तहत जीआईडी (7)- पुनर्विनियोजन प्रस्तावों से संबंधित प्रक्रिया में बदलाव।

उपरोक्त विषय बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2023 के का.ज्ञा.सं. 6(1)-बी(डी)/2023 के संदर्भ में है जिसमें निधियों के पुनर्विनियोजन के लिए डीएफपीआर के नियम 10 के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया गया है।

2. डीईए ने उन मामलों में निधियों के पुनर्विनियोजन के लिए डीएफपीआर के ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित निर्देशों को जारी करने का प्रस्ताव दिया है, जहां पूरक मांगों को संसद द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, ताकि कार्यों के दोहराव/पुनरावृत्ति से बचा जा सकेः-

(i) ₹5.00 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोजन प्रस्तावों पर उन मामलों में जहां पूरक मांगों को संसद द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, मंत्रालयों/विभागों को **वित्त मंत्रालय का अनुमोदन** प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी।

(ii) वृत्तिका/छात्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अंशदान आदि जैसे वस्तु शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 करोड़ से अधिक प्रावधानों की वृद्धि के लिए पुनर्विनियोजन प्रस्ताव जो एनएस/एनआईएस के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं और मंत्रालयों/विभागों द्वारा कोई पूरक प्राप्त नहीं किया गया है, सचिव (व्यय) के अनुमोदन के लिए बजट प्रभाग द्वारा संशाधित किया जाना जारी रहेगा।

(iii) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीएफपीआर के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के नए निर्णय (7) के अनुसार पुनर्विनियोजन के लिए उपरोक्त संशोधित मानदंडों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

Ash K Nilakar

(अविनाश के. नीलांकर)
उप सचिव ई.II(ए)

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि, अतिरिक्त प्रतियों की सामान्य संख्या सहित।
2. सभी वित्तीय सलाहकार

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में संशोधन

नियम-10

भारत सरकार के निर्णय (7)

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के नए निर्णय (7) के अनुसार निम्नलिखित को जोड़ा जा सकता है।

1. ₹5.00 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोजन प्रस्तावों पर उन मामलों में जहां पूरक मांगों को संसद द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है मंत्रालयों/विभागों को **वित्त मंत्रालय का अनुमोदन** प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी।
2. वृत्तिका/छात्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान आदि जैसे वस्तुशीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 करोड़ से अधिक प्रावधानों की वृद्धि के लिए पुनर्विनियोजन प्रस्ताव जो एनएस/एनआईएस के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं और मंत्रालयों/विभागों द्वारा कोई पूरक प्राप्त नहीं किया गया है, सचिव (व्यय) के अनुमोदन के लिए बजट प्रभाग द्वारा संशाधित किया जाना जारी रहेगा।

***